**Sixteenth Loksabha**

an>

Title: Need to allot plots to those candidates whose names came in draw of lots for land plots conducted by Jharkhand State Housing Board

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रांची द्वारा दिनांक 25 एवं 29.06.2011 को प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से भू-सम्पदाओं के आवंटन हेतु आवेदन किया गया। आवास बोर्ड द्वारा दिनांक 20-08-2011 को सैकड़ों आवेदकों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भू-सम्पदाओं के आवंटन हेतु लॉटरी का आयोजन किया गया। लॉटरी की समस्त कार्यवाही विडियोग्राफी कराते हुए विधिसम्मत, युक्तियुक्त एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न की गई। आवास विभाग के कर्मचारियों ने ही लॉटरी में आवंटन को रद्द करने का आवेदन किया, जिस पर जाँच समिति ने जांच कर लॉटरी एवं आवंटन प्रक्रिया को सही ठहराया। इसके बावजूद आवास विभाग द्वारा दिनांक 21.03.2015 को आवंटन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को रिट याचिका संख्या डब्ल्यू.पी.सी. 1346/2015 झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची ने दिनांक 08.04.2015 को विखण्डित कर दिया।

उल्लेख है कि लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा आवंटित भू-सम्पदाओं के लिए आवंटियों द्वारा रकम लगातार आवास बोर्ड में जमा कराई जा रही थी। लगभग कुल राशि का 70औ लोग पूरा पैसा दे चुके हैं। कई आवंटियों का इकरारनामा भी कराया जा चुका है तथा कई आवंटियों को आवंटित भू-सम्पदा का मापन करा कर उन्हें चाहरदीवारी निर्माण के लिए भी दिया जा चुका है।

लॉटरी का आवंटन दिनांक 20.08.2011 को छः साल से अधिक समय हो गया है। परन्तु झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड आवंटियों को भू-सम्पदा नहीं दे रहा है। अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा दिनांक 20.08.2011 को भू-सम्पदा लॉटरी के अनुसार सभी संबंधित आवंटियों को उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।